(24)

न्यायालय राजस्व मण्डल , म0प्र0 ग्वालियर ।

प्रकरण क्रमांक /2017 जिला टीकमगढ़

I/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा/2017/6051

श्री रामसेवक शर्मा द्वारा आज दि0 11-12-17 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 3-1-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 11-12-17
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

प्रागी, सुक्कू , हल्के तनय गुल्ला लोधी

निवासी ग्राम ~~बिदुरैला~~ बुदौरा तहसील

बल्देवगढ़ , टीकमगढ़ (म0प्र0)

----आवेदक

बनाम

म0प्र0 शासन ---- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 (क) म0प्र0भू-रा0संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 27-1-2011 द्वारा पारित न्यायालय अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ (म0प्र0) प्रकरण क्रमांक 268/स्व. निगरानी /2002-03 , म0प्र0 शासन विरूद्ध प्रागी आदि के निर्णय से दुखी होकर ।

---0---

श्रीमान् जी ,

आवेदक की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

(1)- यह कि, प्रकरण में वर्णित सर्वे नम्बरान 647 जुज 648, 651 , 655 रकवा 0.963 हे0 स्थित ग्राम बुदौरा तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ का आवेदकगण भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी है । आवेदकगण को यह पट्टा तहसीलदार

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक–एक / निगरानी / टीकमगढ़ / भू.रा. / 2017 / 6051 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–1–18	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वाराप्रकरण कमांक 268 / स्वमेव निगरानी / 2002–03 में पारित आदेश दिनांक 27–1–11 के वि प्रस्तुत की गई है । 2 / आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–1–11 के विरूद्ध यह निगरानी दिनांक 11–12–17 को अर्थात 6 वर्ष 10 माह विलंब से पेश की गई है । विलंब क्षमा के आवेदन में आदेश की जानकारी के संबंध में यह कहा गया कि आदेश की जानकारी उन्हें 2–11–17 को शाम 7 बजे ग्राम में चर्चा के दौरान हुई । आवेदक द्वारा जानकारी का जो स्त्रोत बताया गया है वह समाधानकारक कारण नहीं है । विलंब के प्रकरणों में दिन प्रतिदिन का समाधानकारक कारण दर्शाया जाना आवश्यक है जो इस प्रकरण में नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि प्रकरण को गुणदोष पर भी देखा जाये तो अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रकरण में संलग्न खसरा की नकलों में आवेदक का आवेदित भूमि पर वर्ष 1995–96 से है जबकि म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखिल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1984 की धारा 3 के अनुसार दिनांक 2–10–84 से कब्जा होना आवश्यक है । दिनांक 2–10–1984 को आवेदकों का प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा था इस संबंध में आवेदकों द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य प्रतीत नहीं होती है । परिणामतः यह निगरानी समयावधि बाह्य होने एवं अपर कलेक्टर के आदेश में कोई त्रुटि न होने के कारण अग्राह्य की जाती है । पक्षकार सूचित हों । प्रशा0 सदस्य	